

मोडल:- लिपिका



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

सत.शा.अ.ई. स्कूल कुम्हार, जिला-दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024



Social Studies



Social Interaction



Language Arts



Music



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1154 / मायता/2021

दुर्ग, दिनांक 23/8/2021

प्रति,
 प्रबंधक, श्री राधापुर सरकारी लड़कियों की स्कूल, दुर्ग
 छानवी राधापुर

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मायता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 07/08/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त में राधापुर सरकारी लड़कियों की स्कूल, दुर्ग (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 05/10/2021 से 04/11/2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 1 से 03 तक माध्यम 2021 के लिए अनंतिम मायता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मायता की स्वीकृत विस्तारणाई नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मायता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्याता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति बरतरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 100% प्रतिशत तक अल्प-पढ़ाई के कमजोर बच्चों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. धारा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पुथक बैंक खता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कंपेंशन नुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या परंपक को किसी स्वीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।
 दो किसी भी बच्चे को ज़ारीरक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 पांच अधिनियम के उपबंधों 'ब' के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- छ: अध्यापकों की भरती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित यूनितम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक त्रिन के पास इस अधिनियम के प्रांरभ पर यूनितम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी यूनितम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
- सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन बिनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और संविधियों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रमुविद्यार्थि निम्नानुसार है :-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 87120 वर्ग फुट
 कुल निर्मित का क्षेत्रफल : 32507 वर्ग फुट
 खेल के मैदान का क्षेत्रफल : 43056 वर्ग फुट
 कक्षाओं की संख्या : 28 कक्षाएं, 02 हॉल
 प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष : 02
 बालकों और बालिकाओं के लिए पुथक शौचालय : 12 + 12
 पेयजल सुविधा : 300 गैट
 मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई : 1
 बाधारहित पहुंच : 1
9. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता:
10. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मायता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोकव्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
15. आपके विद्यालय को आबंटित मायता कोड संख्यांक 1041201103 है। कृपया इसे रोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मायता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
18. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
 दुर्ग



चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवत्ता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान

